

तारीख
हुक्म

19-6-19

~~कल राजकीय अपराध - क्षेत्र 3~~
~~पन्नावली अपराध क्षेत्र 3 अपराध 300~~
~~सा भुमव पर है पन्नावली - दिनांक~~
24-7-19 को किया है
सहायक कलेक्टर
(3.D.O.) बालोतरा


24/7/19

वादी नकील उपरिपत / प्रतिवादीगण
नमील उपरिपत / दोनो पक्षो
के पक्षकारन उपरिपत / वादी ने
कार्यना पत्र पेश कर जाहिर किया
की दोनो पक्षो के बीच मौजिज
पक्षो की समझाईश से आपसी
राजीनामा हो गया है। जिससे
वादीगण व प्रतिवादीगण इनका वाद
पत्र को अभी चल्पाना नहीं चाहते
है। वादीगण ने कार्यना पत्र शतगत
आदेश 22 नियम 3 सी जी.सी. पत्र
पेश कर निवेदन किया की वादी
शरख्य - 1 शिवदान की हस्तु हो चुकी
है। जिससे सारव भिषिक वास्तान
का रेकॉर्ड पर लिया जाना आवश्यक
हो गया है। वादी शरख्य - 1 शिवदान
के मापम भुमाय पेश कर रेकॉर्ड
पर लेने का निवेदन किया गया।
संबंधित शीषिम पेश किया गया।
दोनो पक्षकारन उपरिपत व
दोनो पक्षकार नमील को भुमाय


25/7/19

25/7/19



कानूनी सहायक


विनोद कुमार


वादीगण सं. 1/2, 1/3, 1/4
ना कसिद लेने दे दें मुद्रा
वली. प्राता राजीनामा करत



विनोद कुमार

Del. by me


(सुभाष चंद्र बोस) वादीगण

शिवदान
दिनांक 24/7/19


विनोद कुमार


जतिनाथी

जाया । दोनों पक्षों के बीच
आपसी राजीनामा जमा
योगों की समझौता से हो
गया है। जारी वजीप का
प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश
२२ विभाग सी.पी.सी पर निष्पत्ति
वजीप को हलफ नहीं किया
अतः प्रार्थना पत्र को स्वीकार
किया जाकर सशोधित शीपिन
को रिकॉर्ड पर लिखा गया।

जारीगव की ओर से प्रार्थना
पत्र जरिये राजीनामा निष्पत्ति
केश किया गया। जारीगव को
सुना गया जिन्होंने वारफा को
अपनी चापना नहीं चाहा। वार निष्पत्ति
का निवेदन किया। जारीगव के
वक्त निवेदन व प्रार्थना पत्र के
आधार पर वक्त पत्र जरिये
राजीनामा निष्पत्ति स्वीकार किया जाता
है। फावली केसल सुमार होकर
राखिल दफतर हो।

सहायक कमिश्नर
(S.D.O.) बालोतरा